

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में पारित

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत करकेड़ी दिनांक 25-11-2021

न्यायालय शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़, जिला-अजमेर

क्रमांक/प्रशा0गांवों के संग अभियान/2021/787

दिनांक :- 25/11/21

आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प करकेड़ी में मजमे आम में जानकारी अनुसार, रिपोर्ट पटवारी हल्का ..... जांच भू.अ.नि. .... सरपंच ग्राम पंचायत ..... का प्रमाण पत्र, तहसीलदार रूपनगढ़ की रिपोर्ट/ अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला- अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) के खाता संख्या 115 में वर्तमान में दर्ज इन्द्राज को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र०सं०	नाम ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान इन्द्राज (अशुद्ध प्रविष्ट)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	करकेड़ी	115	(i) कानी देवी W/o हरिराम हि० 71/1113 (ii) लाडा देवी W/o हनुमान हि० 71/1113 (iii) कमला देवी W/o दामोदर हि० 71/1113	(i) कानी देवी W/o हरिराम हि० 60/742 (ii) लाडा देवी W/o हनुमान हि० 41/742 (iii) कमला देवी W/o दामोदर हि० 41/742

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़  
जिला-अजमेर  
दिनांक 25/11/21

क्रमांक/सम/2021/1477-78

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार रूपनगढ़ को भिजवाकर लेख है कि मुताबिक आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करवाकर पालना करें।
2. प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
3. आदेश पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़  
जिला-अजमेर

